

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ० बजट-आवंटन-15/2015- 121 आवंटन /कृ०, पटना, दिनांक 28/5/2015
प्रेषक,

प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

सेवा में

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015-16 में कुल 2635.76 लाख रुपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 421.72 लाख रुपये (चार करोड़ ईक्कीस लाख बहत्तर हजार रुपये) में से तत्काल 322.73 लाख रुपये (तीन करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹3,22,73,000 (तीन करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-4577 दिनांक-08.09.2015 द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत योजना मद में स्वीकृत कृषि एवं उद्यान महाविद्यालयों के लिए स्थापना से संबंधित वेतनादि के लिए वर्ष 2015-16 में कुल 2635.76 लाख रुपये (छब्बीस करोड़ पैंतीस लाख छिहत्तर हजार रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए 421.72 लाख रुपये (चार करोड़ ईक्कीस लाख बहत्तर हजार रुपये) में से तत्काल 322.73 लाख रुपये (तीन करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹3,22,73,000 (तीन करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹3,22,73,000 (तीन करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार रुपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-उप मुख्यशीर्ष-01-फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-१-उप शीर्ष-0103-बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर, विपत्र कोड-P2415017890103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5042 अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में विषयशीर्ष-3104-सहायक अनुदान वेतन मद में उपबंधित राशि ₹3,31,15,000 (तीन करोड़ एकतीस लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र में से ₹1,82,32,000 (एक करोड़ बेरासी लाख बत्तीस हजार रुपये) एवं विषयशीर्ष 3106-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित ₹1,81,81,000 (एक करोड़ एकासी लाख एकासी हजार रुपये) में से ₹1,40,41,000 (एक करोड़ चालीस लाख एकतालीस हजार रुपये) विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


प्रभु राम
निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक 121 आवंटन

/कृ०, पटना, दिनांक 28/9/2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक 121 आवंटन

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर्सन्यिक
/कृ०, पटना, दिनांक 28/9/2015

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शाष्य) शिक्षा-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शाष्य), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय ब्रेवसाईट पर ढालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-गेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर्सन्यिक